

कार्यालय नगर पंचायत, सोनपुर, सारण।

मोबाईल नं०- 7739484007

ई-मेल:- npsonpur@gmail.com

पत्रांक:- 675/2-8-2018

प्रेषक:-

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर
(सारण)

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,
श० स्था० नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
बिहार, पटना।

विषय:-लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं०-638/11-12 (वित्तिय वर्ष - 2009-2010 एवं 2010-2011) का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-भवदीय पत्रांक - सं० एल० ए० / एस० एस- 1 / सं० स्था० नि० / 807
दिनांक:- 14/9/2012

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय एवं संदर्भ में कहना है कि नगर पंचायत, सोनपुर का वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक:-28/10/2016 को सम्पन्न नगर पंचायत की आम बैठक से अनुमोदित कराकर इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु भेजा जाता है।

अतः अनुरोध है कि लंबित कंडिकाओं को लेखा परीक्षा से मुक्त करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर
(सारण)

ज्ञापांक:- 675 दिनांक:- 02/8/18

प्रतिलिपि:-(1) सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।



कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर

(3) (सारण)
3/8/18

नगर पंचायत, सोनपुर, सारण

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-683/2011-12 (वित्तिय वर्ष-2009-2010 एवं 2010-2011) का अनुपालन प्रतिवेदन

क्र0सं0	कंडिका संख्या	अंकेक्षण आपत्ति	नगर पंचायत का अनुपालन प्रतिवेदन
1.	1.	प्रस्तावना	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
2.	2.	प्रशासन	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
3.	3.	लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
4.	4.	आंतरिक लेखा परीक्षा परिणाम	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
5.	5.	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
6.	6	महत्वपूर्ण अंकेक्षण टिप्पणी	
	1.-12	करों का नहीं लगाया जाना	धृति कर 2015-16 से लागू है।
	2.-13	4,71,121/-का द्वादश वित्त आयोग से अनियमित व्यय	12 वीं वित्त के दिशा निर्देश के आलोक में 50 प्रतिशत राशि को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर तथा 46 प्रतिशत राशि नागरिकों के मूल भूत सेवाओं पर व्यय करनी है। सोनपुर मेलो एवं छठ घाट की साफ-सफाई, रोशनी व्यवस्था इत्यादि नागरिकों के मूल भूत सेवाओं पर कुल-4,71,121/-रु0 व्यय की गई है तथा इस मद की शेष 50 प्रतिशत राशि (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) से उपकरणों/संयंत्रों की खरीदगी की गई है। परिशिष्ट I अवलोकनार्थ
	3.-14	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में 53,71,072/-रु0 का अवरोधन	अवरोधित राशि को निविदा प्रकाशित कर राशि को व्यय किया गया है।परिशिष्ट II अवलोकनार्थ
7.		वित्त	वर्ष-2015 से होल्डिंग टैक्स कायम किया गया है।
8.		बजट	वर्ष-2012 से बजट बनाया गया है।
9.		असंतोष/संभावित विचलन	
10.		सरकारी अनुदान	
11.		सरकारी ऋण	सरकारी ऋण नगर पंचायत को प्राप्त नहीं है।
12.		करारोपण नहीं किया जाना	वर्ष-2015 से होल्डिंग टैक्स कायम है।
13.		द्वादश वित्त आयोग	12 वीं वित्त के निर्देशिका में 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 1 प्रतिशत की राशि क्षमता विकास पर एवं 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत राशि ई गर्वनेंस पर तथा 46 प्रतिशत राशि नागरिकों के मूलभूत सुविधाओं पर व्यय करना है।इसी 46 प्रतिशत कर्णकित राशि से छठ घाट की साफ-सफाई जेनरेटर से रोशनी की व्यवस्था, रैन बसेरा की पेंटिंग इत्यादि का कार्य कराया गया है। तथा शेष 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



 नगर पंचायत, सोनपुर, सारण
 कार्यपालक पदाधिकारी

			कार्य हेतु ट्रैक्टर, पानी टंकी, डस्टबीन, हाइड्रोलिक टेलर इत्यादि की खरीदगी की गई है। परिशिष्ट I अवलोकनार्थ
14		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	निविदा प्रकाशित कर योजना के निर्माण पर राशि व्यय किया गया है। परिशिष्ट II अवलोकनार्थ
15.		कबीर अन्त्येष्टि योजना	नगर पंचायत के द्वारा पूर्व में 21 वार्ड पार्षदों को 3000/- (तीन हजार) रु० के दर से प्रत्येक वार्ड पार्षद को कुल 63000/- (तिरसठ हजार) रु० का अग्रिम दिया गया था जिसका समायोजन कर लिया गया है। परिशिष्ट III अवलोकनार्थ अंकेक्षण के क्रम में 261000/- रु० इस मद में अवशेष थी कारण है कि जिला पदाधिकारी, सारण छपरा के बेतार संवाद सं०-395/सा०सु० दिनांक-11.06.12 के आलोक में संबंधित वार्ड पार्षद के साथ एक सरकारी कर्मी का संयुक्त खाता खोलना था जिसे खोलकर राशि का व्यय किया गया है। परिशिष्ट IV अवलोकनार्थ
16.		स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	1. उक्त प्रशिक्षण का परियोजना प्राक्कलन-9,93,600/- रु० का था जिसके अनुरूप सी०डी०एस० को भुगतान किया गया। परिशिष्ट V अवलोकनार्थ 2. प्रशिक्षणार्थियों की सूची में बी०पी०एल० सं० दर्ज है। परिशिष्ट अवलोकनार्थ 3. लाभार्थि प्रशिक्षणार्थियों की सूची एवं चयनित प्रशिक्षणार्थियों की सूची एक ही है। 4. सी०डी०एस० द्वारा समर्पित विपत्र के अनुसार (25 X 16) 16 पृष्ठों की सूची समर्पित की गई थी परन्तु लिपिकीय भूलवश 16 पृष्ठ के बदले 15 पृष्ठ का पृष्ठांकन किया गया। परिशिष्ट VI अवलोकनार्थ 5. सी०डी०एस० द्वारा छात्रवृत्ति, टुल किट्स इत्यादि वितरण किया गया है। परिशिष्ट VII अवलोकनार्थ 6. प्रशिक्षकों, प्रशिक्षणार्थियों एवं सहायिकों का उपस्थिती पंजी की छाया प्रति संलग्न। परिशिष्ट VIII अवलोकनार्थ
17		अधिन एवं अनियमित भुगतान	1. परियोजना प्रस्ताव का कुल बजट-12,50,000/- का है जिसमें कुल वजट के राशि का 1 प्रतिशत राशि विविध खर्च हेतु रखा गया है। साथ ही 50,000/- रु० प्रोत्साहन मद में भुगतान किया गया। परियोजना प्रस्ताव की छाया प्रति संलग्न। परिशिष्ट IX अवलोकनार्थ 2. उक्त प्रशिक्षण कार्य में 10,691/- रु० विविध खर्च में भुगतान किया गया है जिसके अन्तर्गत फोटोग्राफी

District Collector, Saran

 नगर पंचायत, सारण

 कार्यपालक पदाधिकारी

 नगर पंचायत, सारण

			<p>विडियोग्राफी, प्रशिक्षकों को रहने, अल्पाहार/भोजन इत्यादि पर कुल बजट राशि के 1 प्रतिशत राशि के अन्तर्गत किया गया है।</p> <p>परिशिष्ट X अवलोकनार्थ</p> <p>3. प्रशिक्षणार्थियों की सूची अवलोकनार्थ।</p> <p>परिशिष्ट XI अवलोकनार्थ</p> <p>4. सभी प्रशिक्षणार्थी गरीबी रेखा के अन्तर्गत है।</p> <p>5. कौशल उन्नयन प्रशिक्षण में जैसे व्यक्तियों को रखा जाना है जो बीपीएल के अन्तर्गत जो समाज के सबसे निम्न वर्ग के होते हैं। स्वभाविक है जैसे लोग ज्यादातर अशिक्षित होते हैं।</p> <p>6. सीडीएस द्वारा समर्पित विपत्रों को तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया है।</p> <p>परिशिष्ट XII अवलोकनार्थ</p> <p>7. प्रशिक्षण अवधि का प्रतिदिन का समुहवार उपस्थिति पंजी की छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न।</p> <p>परिशिष्ट XIII अवलोकनार्थ</p> <p>8. प्रशिक्षण अवधि में एक प्रशिक्षक समयावधि के अन्तर्गत ही प्रशिक्षण देते हैं। स्वभाविक है कि एक दिन में दो बैच का प्रशिक्षण हुआ।</p>
18		अपूर्ण योजना योजना सं०-01/2007-08	<p>नगर पंचायत, सोनपुर के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। दिनांक-25.01.2015 को तत्कालीन माननीय मंत्री श्री सम्राट चौधरी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के कर कमलों द्वारा उदघाटन किया गया एवं वर्तमान में कार्यालय इसी भवन में संचालित है।</p> <p>परिशिष्ट XIV अवलोकनार्थ</p>
19		अग्रिम	<p>में-63000/- (तिरसठ हजार) रु० कबीर अन्त्येष्टि योजना एवं मो०-90,000/- (नब्बे हजार) रु० कर्मचारियों के वेतन मद में अग्रिम तथा मो०-2,23,000/- (दो लाख तेईस हजार) रु० जनगणना मद में प्रगणको/पर्यवेक्षकों को मानदेय भुगतान कर अग्रिम राशि का समायोजन किया गया है।</p> <p>परिशिष्ट III एवं XV अवलोकनार्थ</p>
20		लेखा परीक्षा परिणाम	सूचनात्मक
21		कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप	अनुपालन की आवश्यकता नहीं।
22		सामान्य अभियुक्ति	सुझाव का अनुपालन किया जा रहा है।

Attested
 M. J. J.
 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर पंचायत, सोनपुर
 नगर पंचायत, सोनपुर, भारत